राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)
फोन नः 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाइट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in
सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: edprmsc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.02(371)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2023/ 330 Dated:- 28/2/24

कार्यालय आदेश

भैषज एंव औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(371)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2023/481Dated:-08.02.2023 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स Maxmed Life Sciences Pvt. Ltd., B-10, Basement, Shanker Garden, Vikaspuri, New Delhi-110018 ने बिड प्रस्तुत की थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 28.02.2023 एवं वित्तीय बिड दिनांक 11.05.2023 को खोली गयी। जिसमें फर्म मैसर्स Maxmed Life Sciences Pvt. Ltd. को आईटम कोड – 468 (Piperacillin + Tazobactum for Injection IP 4gm+500mg) की पैकिंग Vial (Rate Should be quoted for Single Unit) के लिये दर रू. 42.9+ GST व 506 (Amoxicillin and Potassium Clavulanate Inj IP 1.2gm) की पैकिंग Vial (Rate Should be quoted for Single Unit) के लिये दर रू. 24.5+GST की दर अनुमोदनबाद RMSCL के पत्र क्रमांक 1072 Dated:- 02.06.2023 रेट मैच पत्र जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में फर्म के पत्र दिनांक 05.06.2023 द्वारा रेट मैच सहमति दी गई। फर्म को आईटम कोड– 427 (Cephalexin Oral Suspension IP (Cephalexin Dry Syrup IP) 125mg/ 5 ml), 468 (Piperacillin + Tazobactum for Injection IP 4gm+500mg) एवं 506 (Amoxicillin and Potassium Clavulanate Inj IP 1.2gm) के लिये एलओए क्रमांक 1116 दिनांक 07.06.2023 जारी किया गया। फर्म द्वारा एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पत्र कमांक 1524 दिनांक 31.07.2023 जारी किया गया किन्तु फर्म द्वारा एग्रीमेंट प्रस्तुत न कर ई–मेल दिनांक 14.09.2023 द्वारा आईटम कोड–468 की बिड विड्रा करते हुये सप्लाई नहीं करने के लिये लिखा गया।

प्रकरण दिनांक 18.05.2023 को हुई क्रय समिति की बैठक मे रखा गया जिसमें फर्म के विरूद्व निविदा शर्तो के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय के पत्र क्रमांक 1954 दिनांक 21.09.2023 तथा पत्र क्रमांक 1974 दिनांक 27.09. 2023 द्वारा एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु फर्म ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 25.01.2024 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म की ओर से कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः फर्म को बिड शर्तो के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये बिड शर्त संख्या–12(a) "The successful Bidder shall execute an agreement on a non-judicial stamp paper of value mentioned in the Acceptance Letter (stamp duty to be paid by the Bidder) within 15 days period from the date of Letter of acceptance / Letter of intent or within extended period by the Bid Inviting Authority, i.e. the Managing Director, Rajasthan Medical Services Corporation Ltd. The Specimen form of agreement is available in Annexure-IV. Failing to submission of performance security and execution of agreement within stipulated period as above, will result in forfeiture of Bid Security Deposit & other consequential action. **A bidder who is found successful in more than one product; he will be intimated through LOA / LOI to execute agreement for all the products / drugs / items. If such bidder will not execute agreement for one or more items, in such situation a penalty equal to minimum bid security i.e. Rs. 2.00 Lacs and in case of MSME Rs. 50000/- shall be imposed and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years.**" बिड शर्त सं. 19(1) में उल्लेखित प्रावधान– If the successful Bidder fails to execute the agreement and/or to deposit the required performance security within the time specified or withdraws his Bid after the intimation of the acceptance of his Bid has been sent to him or owing to any other reasons, he is unable to undertake the contract, his contract will be cancelled and the bid security deposited by him along with his bid, shall stand forfeited by the Bid Inviting Authority and he will also be liable for all damages sustained by the Bid Inviting Authority apart from blacklisting/ debarring the supplier (As per guidelines for blacklisting/ debarring at annexure IX) एवं डिबारिंग पालिसी के बिड संख्या 2.1 में उल्लेखित प्रावधान "The successful Bidder fails to execute the agreement after being

Signature valid
Digitally signed by [illegible]a Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.29 [illegible]:12:05 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref [illegible]

etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 year". के अन्तर्गत अनुशासनात्मक समिति दिनांक 25.01.2024 द्वारा की गई अनुशंषा की पालना में M/s Maxmed Life Sciences Pvt. Ltd., को औषधी आईटम कोड 468 (Piperacillin + Tazobactum for Injection IP 4gm+500mg) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (Participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा राशि रू 200000/– (अक्षरे राशि रू दो लाख) जब्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही आइटम के लिये उच्च दर अनुमोदन पर अन्तर राशि की वसूली उक्त फर्म से करने के सम्बन्ध में प्रकरण में निर्णय लिया जाकर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(371)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2023/ 330 Dated:- 29/2/24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
6. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल ।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Maxmed Life Sciences Pvt. Ltd., द्वारा निविदा NIPQ01/2022 में जमा राशि रू. 500000/– (008194, 02.02.2023, HDFC BANK) जो कि इस अनुभाग की अनौ. टीप. क्रमांक 619 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवायी गयी है, में से पैनल्टी राशि रू. 200000/– जब्त कर इस अनुभाग को सूचित करने का श्रम करें।
8. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
9. अतिरिक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट तथा E-aushadhi Software में अपलोड़ करावें।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Maxmed Life Sciences Pvt. Ltd., B-10, Basement, Shanker Garden, Vikaspuri, New Delhi-110018 को भेज कर लेख है कि आपकी फर्म के निगम में Empanelled अन्य आईटमों की Empanelled/Bid Security के पेटे राशि रू. 2.00 लाख अविलम्ब जमा करावें। जमा नही करवाने की स्थिति में आपकी फर्म की Empanelled/Bid Security आईटम अनुसार कम होने पर वित्तीय बिड मांगी जाना संभव नहीं होगा।
11. रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

RajKaj Ref
5754259

Signature valid
Digitally signed by N[illegible]a Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.29 1[illegible]:11:05 IST
Reason: Approved